

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या - 61/2019

राज्य बनाम मेसर्स उमंग भण्डार, प्रो० अनिल मितल, पिता- स्व० श्री निवास  
मितल, चट्टी बाजार, रामगढ़।

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

05-04-2022

यह वाद Designated Officer-cum-S.D.O, Ramgarh का पत्र संख्या 14 दिनांक 14.06.2019 द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धारा अन्तर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा के आलोक में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रारम्भ की गई है।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं० - 16/पद सृजन-02-02/2018- 232 (16) रॉची, दिनांक 30.07.2020 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा - 68 के अन्तर्गत सभी जिलों के अपर समाहर्ता (Additional Collector) को न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) नामित किया गया है। इस संबंध में पूर्व में न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचना/आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है।

अतः उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में यह वाद नियमानुसार सुनवाई व अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

शाधवी शिथ्रा  
05.04.2022  
उपायुक्त,  
रामगढ़।

शाधवी शिथ्रा  
05.04.2022  
उपायुक्त,  
रामगढ़।